

WESTERN RAILWAY

P.S.No. 14/2013

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EP 511/0 VOL.III

Date: 01.03.2013

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn, 'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Advanced increments granted to Stenographers of
Subordinate Offices on Qualifying speed test in shorthand
at 100/120 w.p.m regarding.

=====

A copy of Railway Board's letter No. PC-VI/2010/1/7/5/5 dated
19/02/2013 (PC-VI/314 & RBE No.14/2013) is sent herewith for information,
guidance and necessary action.

Railway Board's letters mentioned therein have been circulated by this
office as indicated below:-

Railway Board's letter No. & date	Circulated under this office letter No.& date
PC-IV/2010/increment dated 19/08/2010 (PC-IV No. 357/ RBE 119/2010)	EP 511/0 VOL.II dated 23/09/2010 (P.S.No. 129/2010)

Encl: As above.

2/3/13/2013
(S. Kademani)
For General Manager (E)

**Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)**

S. No. PC-VI/314
No. PC-VI/2010/1/7/5/2

RBE No.14/2013
New Delhi, dated.19.02.2013

The GMs/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)

Sub: Advance increments granted to Stenographers of
Subordinate Offices on qualifying speed test in shorthand
at 100/120 w.p.m. regarding.

In accordance with the provisions contained in this Ministry's letter No.PC-IV/2010/increment/1 dated 19.08.2010 on the subject cited above, the Advance Increments granted to Stenographers of Subordinate Offices on qualifying speed test in shorthand at 100/120 w.p.m. are treated as pay for all purposes.

2. Consequent upon implementation of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 the concept of Pay Band and Grade Pay has been introduced. Since, there are no fixed rates of increments now, the manner in which advance increment(s) are to be computed has been examined afresh keeping in view the clarification given by DOP&T. Further, after issue of clarifications vide Board's letter of even number dated 11.04.2011, this Ministry has received references from some Railways/Production Unit seeking clarifications regarding grant of advance increments. Accordingly, it has been decided that the grant of advance increments to Stenographers of Subordinate Offices on qualifying the speed test in shorthand at 100/120 w.p.m. after 01.01.2006 may be regulated as under:-

- a) In terms of the instructions contained in this Ministry's letter No.PC-IV/2010/increment/1 dated 19.08.2010, the advance increments granted to Stenographers of Subordinate office on qualifying Speed Test in Shorthand at 100/120 w.p.m. in terms of Board's letter No.PC-III/74/INC/3 dated 07.11.1975 are to be treated as pay for all purposes and the past cases are also to be regulated accordingly. These advance increments were therefore to be taken into account for fixation in the Revised Pay for those officials who were in receipt of such increments in the pre-revised pay. In such cases, the advance increments will no longer continue as a separate element.

- b) In respect of persons who become eligible for grant of advance increments consequent upon implementation of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, the advance increment may be calculated by granting increment @ 3% of the Basic Pay on the date of passing of the test. Two advance increments may be calculated by granting two increments @ 3% of the Basic Pay on the date of passing the test. The amount of this increment may be treated as a separate element in addition to the Basic Pay (Pay in the Pay Band + Grade Pay), till such advance increments are taken into account as per (c) of this letter.
- c) Once the advance increments are taken into account for the purpose of pay fixation on promotion or being placed in a higher scale on grant of ACP/MACP or fixation of pay due to revision of pay scale etc., the advance increments will no longer be continued as a separate element as it will be merged with the basic pay.
3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.



(HARI KRISHAN)
Director, Pay Commission-II
Railway Board.

No.PC-VI/2010/1/7/5/2

New Delhi, dated.19.02.2013

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares)



for Financial Commissioner/Railways.

No.PC-VI/2010/1/7/5/2

New Delhi, dated.19.02.2013

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पीसी-VI/314
सं. पीसी-VI/2010/आई/7/5/2

आरबीई सं. 14/2013
नई दिल्ली, 19.02.2013

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: 100/120 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि में स्पीड टेस्ट पास करने पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 19.08.2010 के पत्र सं.पीसी-IV/2010/इन्कीमेन्ट/1 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार 100/120 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि में स्पीड टेस्ट पास करने पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को प्रदान की गई अग्रिम वेतनवृद्धियां सभी प्रयोजनों के लिए वेतन के रूप में मानी जाती हैं।

2. रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के लागू होने के परिणामस्वरूप पे बैंड और ग्रेड पे की अवधारणा शुरू हुई है। चूंकि अब वेतनवृद्धियों की कोई नियत दरें नहीं हैं, अतः कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए अग्रिम वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) की गणना करने की प्रक्रिया की नए सिरे से जांच की गई है। इसके अलावा, बोर्ड के दिनांक 11.04.2011 के समसंख्यक पत्र के तहत स्पष्टीकरणों को जारी करने के बाद इस मंत्रालय में कुछ रेलों/उत्पादन इकाई से अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। तदनुसार, यह विनिश्चय किया गया है कि 01.01.2006 के बाद 100/120 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि में स्पीड टेस्ट पास करने पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को अग्रिम वेतनवृद्धियों को निम्नानुसार विनियमित किया जाए:-

क) इस मंत्रालय के दिनांक 19.08.2010 के पत्र सं. पीसी-IV/2010/इन्कीमेन्ट/1 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार बोर्ड के दिनांक 07.11.1975 के पत्र सं.पीसी-III/74/आईएनसी/3 के अनुसार 100/120 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि में स्पीड टेस्ट पास करने पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को प्रदान की गई अग्रिम वेतनवृद्धियों को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन के रूप में माना जाना है और तदनुसार ही पिछले मामलों को भी विनियमित किया जाना है। इसलिए, इन अग्रिम वेतन-वृद्धियों को उन कर्मचारियों, जिन्हें संशोधन-पूर्व वेतन में ऐसी वेतनवृद्धियां प्राप्त हुई थी, के लिए संशोधित वेतन में निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जाना था। ऐसे मामलों में, अग्रिम वेतनवृद्धियां को एक अलग एन्टीमेन्ट के रूप में जारी नहीं रखा जाएगा।

- ख) उन व्यक्तियों, जो रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के लागू होने के परिणामस्वरूप अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान करने के लिए पात्र हैं, के संबंध में अग्रिम वेतनवृद्धि की गणना परीक्षा पास करने की तारीख को मूल वेतन के 3% की दर से वेतन-वृद्धि प्रदान करते हुए की जाए। दो अग्रिम वेतनवृद्धियों की गणना परीक्षा पास करने की तारीख को मूल वेतन के 3% की दर से दो वेतनवृद्धियां प्रदान करते हुए की जाए। इस पत्र के (ग) के अनुसार ऐसी अग्रिम वेतनवृद्धियों को ध्यान में रखे जाने तक इस वेतनवृद्धि की राशि को मूल वेतन (पे बैंड में वेतन + ग्रेड पे) के अलावा एक अलग एलीमेन्ट के रूप में माना जाए, ।
- ग) पदोन्नति होने अथवा एसीपी/एमएसीपी प्रदान करने पर उच्चतर वेतनमान में रखे जाने पर वेतन का निर्धारण करने अथवा वेतनमान में संशोधन होने के कारण वेतन का निर्धारण करने आदि के प्रयोजन के लिए अग्रिम वेतनवृद्धियों को एक बार ध्यान में रखे जाने पर एक अलग एलीमेन्ट के रूप में जारी नहीं रखा जाएगा क्योंकि इनका मूल वेतन में विलय कर दिया जाएगा।
3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।


(हरि कृष्ण)

निदेशक, वेतन आयोग-1।
रेलवे बोर्ड

सं. पीसी-V1 /2010/आई/7/5/2

नई दिल्ली, 19.02.2013

प्रतिलिपि: भारत के उप निर्यंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियां सहित)


कृते वित्त आयुक्त, रेलवे